

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में माननीय सर्विसो श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, समस्तीपुर विधान सभा द्वारा समस्तीपुर जिला अन्तर्गत बी० आर० बी० कॉलेज, समस्तीपुर में ओपन जीम सामग्री के अधिष्ठापन हेतु दस लाख अन्दानवे हजार रूपये तक Chest Press Double, Double Leg Press, Royal Cycle, Arms & Pedal Bike, Twister three in one, Shoulder Press Double, Leg Lift Post Spinner, ABS trainer, Surfing Board के अधिष्ठापन हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में जीम सामग्री के अधिष्ठापन हेतु निबंधित निविदादाता से मुहरबन्द निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) दो अलग-अलग लिफाफों में बन्द कर एक बड़े लिफाफा में दोनों निविदा को डालकर सीलबन्द कर बड़े अक्षरों में “मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत जीम सामग्री का अधिष्ठापन हेतु निविदा” लिखा हो, निविदा आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक निविदादाता द्वारा अनुशंसित जीम सामग्रियों की सूची दिनांक 16.11.2021 तक कार्य दिवस में जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा जिला के बेबसाईट www.samastipur.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। दिनांक 16.11.2021 को 01:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में मुहरबन्द निविदा प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष निविदा खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

निविदा में निम्न शर्तों का अनुपालन आवश्यक है :-

(क) तकनीकी निविदा की शर्तेः-

1. तकनीकी निविदा में 22,000.00 (बाईस हजार रूपये) मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से हो एवं समस्तीपुर में भुगतान योग्य हो, अग्रधन राशि के रूप में संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. GST में निबंधन से संबंधित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा। मार्च 2021 तक अद्यतन GST रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।
4. तीन वर्षों का आयकर यथा वर्ष 2017-18, 2018-19, एवं 2019-20 का आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को समरूप कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र की एवं कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, एवं 2019-20 में औसतन टर्न ओवर 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये का होना अनिवार्य है (सत्यापन के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण Profit & Loss Account और Balance Sheet संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को ISO प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ-पथ मूल प्रति में सलग्न करना होगा।
9. आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति (पुलिस अधीक्षक) द्वारा निर्गत संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तेः-

11. वित्तीय निविदा में उपलब्ध अनुशंसित सूची के अनुसार सभी जीम सामग्रियों का नाम एवं प्रति इकाई दर कर, आपूर्ति एवं अधिष्ठापन सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्तेः-

12. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा। न्युनतम दर के आधार पर L-1 निर्धारित किया जाएगा।
13. निर्धारित निविदा दर निर्धारण की तिथि से पूरे चालू वित्तीय वर्ष के लिये अनुमान्य होगा।
14. सभी जीम सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन से संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
15. कार्यादेश के अनुरूप सभी जीम सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अनुशंसित महाविद्यालय में करना होगा। किसी प्रकार का भाड़ा देय नहीं होगा।
16. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य होंगी।
17. विवाद की स्थिति में समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
18. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक/पूर्णतः स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।


उप विकास आयुक्त,
समस्तीपुर।